

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक— प.6(4)(2) ए.सी.आर./विविध/अभि./25/

दिनांक: ई—हस्ताक्षरित दिनांक

आदेशः

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशो को विलोपित करते हुए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:—

क्र.स.	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकारकर्ता प्राधिकारी	कार्यालय जहां वा0का0मू0प्रतिवेदन रखे जाने हैं
1	2	3	4	5	6
1.	निजी सचिव	निदेशक अभियोजन	निदेशक अभियोजन	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय
2.	अति. निजी सचिव / निजी सहायक ग्रेड—प्रथम / द्वितीय	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.)		निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय
3.	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त / सहायक प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक (अभियोजन निदेशालय स्तर पर)	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.)		निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय
4.	संस्थापन अधिकारी	संयुक्त / उप निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.)	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय
5.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम / द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार / सूचना सहायक अभियोजन निदेशालय	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.)	निदेशक अभियोजन	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	सम्बन्धित निदेशालय
6.	प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त / सहायक प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक (जिला मुख्यालय कार्यालय में कार्यरत)	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.)	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय
		उप निदेशक अभियोजन (संबन्धित)	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)		
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.)	निदेशक अभियोजन	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	सम्बन्धित निदेशालय
9.	कनिष्ठ लेखाकार / सूचना सहायक (जिला मुख्यालय पर कार्यरत)	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.)	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	सम्बन्धित निदेशालय
		उप निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)		
10.	सहायक अभियोजन अधिकारी	उप निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय

11.	समस्त मंत्रालयिक कर्मचारीगण कार्यालय अभियोजन अधिकारी / सहायक अभियोजन अधिकारी में कार्यरत	संबंधित अभियोजन अधिकारी / सहायक अभियोजन अधिकारी	उप निदेशक अभियोजन (जिला मुख्यालय)	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय
12.	समस्त मंत्रालयिक कर्मचारीगण कार्यालय भ्रष्टा.नि.ब्यूरो	सहायक निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सम्बन्धित)	निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय

नोट:-

1. अभियोजन निदेशालय में पदोन्नति एवं गोपनीय शाखा में पदस्थापित राजसेवकों के लिए प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारी अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) एवं स्वीकारकर्ता के रूप में निदेशक अभियोजन होंगे।
2. यह आदेश वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन से प्रभावी होगा।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विधि सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, वादकरण, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर।
5. तकनिकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि./न्याय) अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान। (मुख्यालय सहित)
9. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, भ्र0नि0ब्यूरो, राजस्थान।
10. संस्थापन/प्रशासनिक अधिकारी एवं समस्त अनुभाग, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
11. समस्त अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी राजस्थान द्वारा उप निदेशक अभियोजन जिला मुख्यालय।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर